

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3161
जिसका उत्तर 21.12.2023 को दिया जाना है
रेल उपरिपुल और अंडरपास

3161. डॉ. ढालसिंह बिसेन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर रेल उपरिपुल(आरओबी) या अंडरपास का निर्माण करने जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (ग) इन प्रस्तावों संबंधी अनुमोदित पुलों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन स्वीकृत पुलों पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और
- (ड.) मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उन मार्गों का ब्यौरा क्या है, जहां आरओबी/अंडरपास के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है अथवा भविष्य में स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और इन अनुमोदित कार्यों के कब तक शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय की मौजूदा नीति का उद्देश्य एनएच पर सभी मौजूदा लेवल क्रॉसिंग को आरओबी/आरयूबी से बदलना है। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे क्रॉसिंगों पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे/बाईपास पर भी आरओबी/आरयूबी का निर्माण किया गया है। मंत्रालय को समय-समय पर रारा और राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी के निर्माण के लिए कई जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। जबकि मंत्रालय डीपीआर की तैयारी, निर्माण-पूर्व गतिविधियों जैसे भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, रेलवे से आवश्यक मंजूरी आदि के आधार पर एनएच पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण करता है। सीआरआईएफ के माध्यम से वित्त पोषित सेतु बंधन कार्यक्रम के तहत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रस्तावों की प्राथमिकता सूची में शामिल करने के लिए राज्य की सड़कों के प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। आरओबी/आरयूबी का निर्माण या तो स्टैंड-अलोन परियोजना के रूप में या प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया जाता है।

(ड) मध्य प्रदेश के बालाघाट निर्वाचन क्षेत्र में जिन मार्गों पर आरओबी/अंडरपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है, उनका विवरण इस प्रकार है:

रारा सं.	स्थान	रारा खंड	स्वीकृत कार्य प्रारंभ
रारा-543	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में रारा-543 के बालाघाट-गोंदिया खंड को 4-लेन का बनाना	कि.मी. 7+200 और कि.मी. 16+171	ठेकेदार को 29.03.2023 को सुपुर्द पत्र जारी किया गया है।
